

**पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY**  
**सोनपुर मंडल / SONPUR DIVISION**  
**कार्मिक विभाग / PERSONNEL DEPARTMENT**

सं० : ECR-SEE0PERS (SDPO)/1/2022

दिनांक—30.11.2022

**सर्वसंबंधित**  
**सोनपुर मंडल**

**विषय:** सेवा अभिलेख के संप्रेषण के संबंध में।

हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सेवा अभिलेखों का संप्रेषण रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० 229/2001, 33/2015 एवं 131/2017 में वर्णित निर्देशानुसार सेवा अभिलेखों का संप्रेषण कर्मचारी के विरमन के 15 दिनों के भीतर किया जाना है। बावजूद इसके सेवा अभिलेखों का संप्रेषण, खासकर समई के कार्यालय के द्वारा असामान्य देरी से किया जाता है। वर्तमान में सोनपुर मंडल से 52 सेवा अभिलेखों को अन्य मंडल/यूनिट को प्रेषित किया जाना शेष है, जिनमें से कुल 42 समई स्तर पर लंबित है।

यह उल्लेखनीय है कि सेवा अभिलेखों के विलंबित संप्रेषण से कई प्रकार की स्थापनात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं एवं इसके कारण कर्मचारी परिवाद भी बढ़ता है। अतएव, यह आवश्यक है कि कार्मिक विभाग के संवर्ग लिपिक, जो स्थानांतरण/विरमन आदेश निर्गत करते हैं, के द्वारा सेवा अभिलेखों का समसय संप्रेषण सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सर्वसंबंधित को यह निर्देशित किया जाता है कि सेवा अभिलेखों का संप्रेषण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किए जाएं। इस शीर्ष पर किसी प्रकार की कोताही/लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

(दीपक राज राय)  
मकाधि (प्रभारी)/सोन०

**प्रतिलिपि:** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. मरेप्र महोदय के निजी सचिव: मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अमरेप्र—। एवं अमरेप्र—।।
3. समस्त शाखाधिकारी / सोनपुर मंडल
4. वमई (स०)/सोन
5. वमविप्र/सोन
6. समस्त कार्मिक अधिकारी
7. समस्त समई/सोनपुर मंडल
8. समस्त स्थापना लिपिक/समई कार्यालय
9. समस्त संवर्ग लिपिक